कोर्ट केस/महत्वपूर्ण

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 16 जून, 2026

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित पुनर्विचार याचिका डायरी सं0 53434/2025 उ0प्र0 राज्य बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुनर्विचार याचिका डायरी सं0 53434/2025 उ0प्र0 राज्य बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मई, 2026 को पारित आदेश का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

...33. Appreciating that the TET examination must be conducted by the relevant authorities expeditiously as well as the time and resources required for the same are limited, we alter and extend the timeline granted in paragraph 217 of Anjuman (supra) for in-service teachers to acquire the TET qualification from 2 (two) to 3 (three) years, i.e., the qualification has to be obtained by 31st August, 2028 instead of 31st August, 2027, as originally directed.

34. Needless to observe, it shall also be the endeavour of the respective States and the competent authorities to conduct the TET periodically, and preferably twice every year, interspersed with an approximate period of six months between the successive examinations, so as to afford eligible teachers a reasonable opportunity to comply with the statutory requirement.

35. We make it abundantly clear that no further prayer for extension of time shall be entertained.

CONCLUSION

36. With the aforesaid modification of the order under review, all the petitions stand dismissed.

2- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त आदेश दिनांक 29 मई, 2026 में अपने पूर्व निर्णय सिविल अपील संख्या- 1385/2025 अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-01.09.2025 मामले में दिये गये आदेश में कोई त्रुटि न पाते हुए निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने से इंकार किया गया है तथा अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षकों को टी0ई0टी0 उत्तीर्ण किये जाने की समय-सीमा को दिनांक 31 अगस्त, 2027 से विस्तारित करते हुए दिनांक 31 अगस्त, 2028 कर दिया गया है तथा समस्त पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनाक 29 मइ, 2026 के क्रम में कार्यरत शिक्षकों हेतु special TET परीक्षा आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में निम्नांकित प्रारूप पर सूचना शासन को 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		
		कुल नियमित कार्यरत शिक्षकों की संख्या	प्राथमिक स्तर के TET/CTET उत्तीर्ण कार्यरत शिक्षकों की संख्या	अवशेष कार्यरत शिक्षकों की संख्या, जो प्राथमिक स्तर के TET/CTET उत्तीर्ण नही है।	कुल नियमित कार्यरत शिक्षकों की संख्या	उच्च प्राथमिक स्तर के TET/CTET उत्तीर्ण कार्यरत शिक्षकों की संख्या	अवशेष कार्यरत शिक्षकों की संख्या, जो उच्च प्राथमिक स्तर के TET/CTET उत्तीर्ण नही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
योग							

भवदीय,

Digitally signed by
AVADHESH KUMAR TIWARI
Date: 16-06-2026
17:03:58

(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>

<u>प्रतिलिपि:</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज।

आज्ञा से,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
संयुक्त सचिव।